हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/21 [illegible]	Not Press [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Not Press

27/10/25

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। आज इस न्यायालय से संबंधित मूल वाद वकील वादी के निवेदन पर Not Press में रखा गया है। वाद इस न्यायालय द्वारा 212 RTA का कोई सक्षम Officer है इसलिए धारा 212 RTA की Not Press में रखा जाकर पत्रावली फौरन मूल वाद से जोड़ी जाकर अग्रिम कार्यवाही मूल वाद में रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)